

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या:—06/वि0पत्रा0—24—07/2025

पटना, दिनांक—

मो0 सोहैब जमाँ, राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक—2498, वि0 (2), दिनांक—12.04.2007 एवं वित्त विभाग का पत्रांक—9889/वि0, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में उनकी प्रथम संतान (पुत्री) के लिए दिनांक—25.05.2026 से 08.06.2026 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/वि0पत्रा0—24—07/2025 1849

पटना, दिनांक—22/05/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमण्डल, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं मो0 सोहैब जमाँ, राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।